राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या 27 / 2024

प्रार्थी / सायल	**बनाम**	**गैर सायल**
राजस्थान सरकार जरिये हल्का पटवारी **खुडाला**		तेजाराम पुत्र जालाराम जाति मेघवाल निवासी मोडावास, खुडाला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 18.10.2024

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का खुडाला ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा मोडावास की राजकीय भूमि ख.न. 42 रकबा 3.9416 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन औरण(राजकीय भूमि) में से 0.0809 हैक्टैयर पर अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमी द्वारा बाड़ बनाकर अतिक्रमण / अतिचार किया है। अतः गैर सायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 20.09.2024 को हल्का पटवारी उपस्थित, गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को सुनवाई अवसर दिया जाकर पत्रावली 18.10.2024 पेश हुई। गैर सायल को सुनवाई का दोबारा मौका देने के बावजूद अनुपस्थित। अतः खुले न्यायालय में तीन बार आवाज लगाने के तदुपरान्त गैर सायल अनुपस्थित होने से कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि किस्म बारानी सोयम(सरकारी भूमि) है जिस पर गैर सायल का अनाधिकृत कब्जा साबित होता हैं। अतः गैर सायल को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.08 का राउण्ड अप 1 रूपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 50 रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायल् को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जे को हटाकर भूमि को सरकारी तहवील में लेने तथा नियमानुसार जुर्माना वसूल कर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दियें जाते है। बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी, भू.अ.नि. तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.01.31 16:54:32 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार गुड़ामालानी
जिला-बाड़मेर